यह निरीक्षण प्रतिवेदन **सचिव, उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **सचिव, उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग, देहरादून** के माह 07/2017 से 08/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार एवं श्री मुकेश कुमार-II सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 28-09-2020 से 05-10-2020 तक श्री टी॰ एस॰ नेगी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरिंदम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री राज बहादुर लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 31/7/2017 से 3/8/2017 तक मे संपादित किया गया था जिसमें 04/2016 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2017 से 08/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **सचिव, उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग, देहरादून** का मुख्य कार्यकलाप आयोग में प्राप्त शिकायतों के निवारण आदि संबंधी क्रियाकलाप किए जाते हैं। उत्तराखण्ड राज्य के अंतर्गत अच्छादित सम्पूर्ण क्षेत्र है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) रू॰	बचत स्थापना (-) रू॰	बचत गैर स्थापना (-) रू॰
	स्थापना रू॰	गैर स्थापना रू॰	आवंटन रू॰	व्यय रू॰	आवंटन रू॰	व्यय रू॰			
2017-18	--	--	37.45	24.41	20.85	13.04	--	13.04	7.81
2018-19	--	--	23.80	14.98	28.04	14.85	--	8.82	13.19
2019-20	--	--	3.59*	17.25	24.16	21.72	--	0.00613	2.44
2020-21 (08/2020 तक)	--	--	16.00	14.84	8.46	2.71	--	--	--

* वित्तीय वर्ष 2019-20 से स्थापना के अन्तर्गत मद 01-वेतन, 03-महंगाई भत्ता, 06- अन्य भत्ते, 09- विदद्युत देयक एवं 10 जलकर/ जल प्रभार को Global Budgeting की व्यवस्था लागू होने से उक्त मदों का आवंटन विभागाध्यक्ष स्तर पर किया जाता है। मद 07 मानदेय स्थापना के अन्तर्गत आच्छादित है एवं जिसका बजट आवंटन आहरण वितरण अधिकारी स्तर पर आबंटित किया जाता है, जिससे आवंटन कम दर्शाया गया है तथा वर्ष 2020-21 में मानक मद -07 एवं 08 क्रमशः मानदेय एवं परिश्रमिक का भुगतान स्थापना मद के अंतर्गत आच्छादित होने के साथ ही उक्त मदों मे बजट आवंटन आहरण वितरण अधिकारी स्तर पर आवंटित किया जाता है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)/बचत(-)
2017-18		शून्य			
2018-19					
2019-20					
2020-21 (08/2020 तक)					

(iii) इकाई को बजट प्राप्ति का मुख्य स्त्रोत निदेशक, उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव (समाज कल्याण) 2. सचिव (जनजाति आयोग) 3. अध्यक्ष 4. उपाध्यक्ष 5. वरि॰ सहायक 6. कनिष्ठ सहायक आदि .

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में सचिव, उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग, देहरादून (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन सचिव, उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 09/2017, एवं 03/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग II (ब)

प्रस्तर:01- प्रतिकर की धनराशि रूपये 44.06 लाख का वितरण न किया जाना।

पिथौरागढ़ जनपद के तहसील धारचूला के अन्तर्गत ठानीधार-रिमझिम-बैकू-रौतों मोटरमार्ग में खेतिहर भूमि के अनुसूचित जनजातियों के काश्तकारों की प्रभावित नापभूमि के प्रतिकर की धनराशि को ग्रामीण निर्माण विभाग के द्वारा वितरित किया जाना था।

कार्यालय सचिव, उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग, देहरादून के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि पिथौरागढ़ जनपद के तहसील धारचूला के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के 33 काश्तकारों की प्रभावित नापभूमि के प्रतिकर की धनराशि का भुगतान वर्ष 2018 में किया जाना था। आयोग के पत्रांक 1650-53 दिनांक 17.10.2018 के अनुसार 19 काश्तकारों को माह अक्टूबर 2018 तक कर दिया गया तथा शेष 14 काश्तकारों को धनराशि के अभाव में भुगतान नहीं किया गया। नवम्बर 2018 में 3 एवं दिसंबर 2018 में 01 काश्तकारों की रजिस्ट्री कर भुगतान कर दिया गया, इस प्रकार कुल 23 काश्तकारों को धनराशि रूपये 46,96,625.00 का भुगतान किया जा चुका था। शेष 10 काश्तकारों को प्रतिकर की धनराशि रूपये 38,42812.00 का भुगतान किया जाना वर्तमान तक अवशेष था।

उक्त के अतिरिक्त जिला उद्द्यान विभाग द्वारा फलदार वृक्षों/ पेड़ों की क्षतिपूर्ति में 33 काश्तकारों में से 22 काश्तकारों का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष 11 काश्तकारों का धनराशि रूपये 5,63,500.00 का भुगतान वर्तमान तक किया जाना शेष था। उक्त के सम्बंध में आयोग के द्वारा 15 जनवरी 2019 के पश्चात प्रकरण को संज्ञान में नहीं लिया गया तथा उसके सम्बंध में कोई पत्राचार नही किया गया ।

उक्त से स्पष्ट था कि आयोग की उदासीनता के कारण अनुसूचित जनजातियों के 10 काश्तकारों प्रतिकर की धनराशि रूपये 38,42,812.00 का भुगतान ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा तथा 11 काश्तकारों का धनराशि रूपये 5,63,500.00 का भुगतान जिला उद्द्यान विभाग द्वारा समय पर नहीं किया जा सका तथा उससे काश्तकारों को प्राप्त होने वाले लाभ से लगभग 02 वर्षों से अधिक समय से वंचित रखा गया।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर आयोग द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा 10 काश्तकारों को वर्तमान तक भुगतान नहीं किया गया जिसके लिए संबन्धित विभाग से पत्राचार जारी है। आयोग द्वारा जनवरी 2019 से स्टाफ की कमी के कारण पत्राचार नहीं किया गया तथा जिला उद्द्यान विभाग द्वारा भी 22 काश्तकारों को भुगतान किए जाने की सूची प्राप्त किए जाने हेतु पत्राचार किया जायेगा।

आयोग का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि आयोग की उदासीनता के कारण अनुसूचित जनजातियों के 10 काश्तकारों के प्रतिकर की धनराशि रूपये 38.43 का भुगतान ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा तथा उद्द्यान विभाग द्वारा फलदार वृक्षों/ पेड़ों की क्षतिपूर्ति हेतु 11 काश्तकारों की धनराशि रूपये 5.63 का भुगतान समय पर नहीं किया गया। जिससे अनुसूचित जनजातियों के काश्तकारों को मिलने वाले रूपये 44.06 लाख के लाभ से वंचित

रखा गया। जिसके लिए आयोग द्वारा जनवरी 2019 से अनुसूचित जनजातियों के हित के लिए कोई पत्राचार ही नहीं किया गया।

अतः अनुसूचित जनजातियों को धनराशि रूपये 44.06 लाख का वितरण न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग II (ब)</u>

<u>प्रस्तर:02-</u> आयोग की उदासीनता से धनराशि ₹ 1.5 लाख की वित्तीय सहायता तीन वर्षों से भुगतान न किया जाना।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियमावली 2016 के नियम 14 के द्वारा परिशिष्ट-1 को भी प्रतिस्थापित किया गया है जिसके क्रमांक 25 के अन्तर्गत पीड़िता को रूपये 2,00,000/- की वित्तीय सहायता निम्नवत देय है-

- 50प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने पर।
- 25 प्रतिशत आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल होने पर।
- प्रतिशत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ट्रायल पूर्ण 25 होने पर।

अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ अप्राकृतिक लिंगीय अपराध किए जाने पर प्रदान किया जाता है।

कार्यालय सचिव, उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग, देहरादून के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि 13/14 अगस्त 2017 की रात्रि में ग्राम सिरखा, तहसील धारचूला, जनपद पिथौरागढ़ में अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ अप्राकृतिक लिंगीय अपराध किए जाने की घटना घटित हुई। जिसको आयोग द्वारा संज्ञान में लिया गया। आयोग ने 14 नवम्बर 2017 को जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से जानकारी मांगी कि क्या प्रकरण में एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग दर्ज कर लिया गया है तथा पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करा लिया गया। जिसके लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा 28 नवम्बर 2017 को जिला समाज कल्याण अधिकारी से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियमावली 2016 के नियम 14 के द्वारा परिशिष्ट-1 को भी प्रतिस्थापित किया गया है जिसके क्रमांक 25 के अन्तर्गत पीड़िता को रूपये 2,00,000/- की वित्तीय सहायता एक माह के भीतर उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया। लेकिन समाज कल्याण अधिकारी ने प्रश्नगत शिकायत में मार्च 2018 आख्या न देने पर आयोग द्वारा आपत्ति समाज कल्याण अधिकारी एवं निदेशक समाज कल्याण से की गयी। मई 2018 में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अवगत कराया कि पीड़िता को धनराशि रूपये 50,000/- बैंक खाते के माध्यम से अंतरण किए जाने का उल्लेख किया गया। शेष धनराशि रूपये 1,50,000/- (200000-50000=150000) के भुगतान के सम्बंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी कि वह पीड़िता को कब तक प्रदान की जाएगी। आयोग द्वारा मई 2018 के पश्चात शेष धनराशि प्रदान किए जाने के सम्बंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

उक्त से स्पष्ट था कि पीड़िता को जो धनराशि 6 माह पूर्व मिल जानी थी वह मई 2018 में प्रदान की गयी और जिलाधिकारी एवं समाज कल्याण विभाग स्तर से पीड़िता को समुचित धनराशि प्रदान न किए जाने में उदासीनता बरती गयी। आयोग द्वारा मई 2018 के पश्चात शेष धनराशि प्रदान किए जाने के सम्बंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी एवं तीन

वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी पीड़िता उस लाभ से वंचित किया गया, जो आयोग की उदासीनता को प्रदर्शित करता है।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर आयोग द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि पीड़िता को रूपये 0.50 लाख की धनराशि का भुगतान किया गया है एवं रूपये 1.50 लाख का भुगतान किया जाना अभी शेष है। पीड़िता को तीन वर्षों से अधिक समय से भुगतान न किए जाने एवं प्रकरण एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग दर्ज के सम्बंध में अवगत कराया कि विभाग से पत्राचार कर जानकारी प्राप्त की जा रही है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पीड़िता को जो धनराशि 6 माह पूर्व मिल जानी थी वह मई 2018 में केवल रूपये 50000/- की धनराशि प्रदान की गयी। जिलाधिकारी एवं समाज कल्याण विभाग स्तर से पीड़िता को समुचित धनराशि प्रदान न किए जाने में उदासीनता बरती गयी। इसके अतिरिक्त तीन वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी पीड़िता उस लाभ से वंचित किया गया, जो आयोग की उदासीनता को प्रदर्शित करता है।

अतः आयोग की उदासीनता से धनराशि ₹ 1.5 लाख की वित्तीय सहायता तीन वर्षों से भुगतान न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:01</u> ₹ 0.93 लाख के फर्नीचर का अनियमित क्रय किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अध्याय - 1 के संक्षिप्त शीर्षक 3(1) - **अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धांत** के अनुसार "समस्त अधिप्राप्ति प्रकियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। "

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अध्याय - 1 के संक्षिप्त शीर्षक 3(13 - तीन) - **अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धांत** के अनुसार "प्रत्येक सरकारी कर्मचारी लोकधन से व्यय करते समय उसी प्रकार की सतर्कता बरतेगी जिस प्रकार सामान्यतः एक बुद्धिमान व्यक्ति निजी धन व्यय करते समय बरत्ता है "

अध्याय - 2 के संक्षिप्त शीर्षक 34- **क्रय समिति के माध्यम से सामग्री का क्रय -** के अनुसार " प्रत्येक अवसर पर रु. 25,000 से अधिक तथा रु. 2,50,000 तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय, विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से गठित समुचित स्तर के तीन सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियो पर किया जा सकता है। इस क्रय समिति में अनिवार्य रूप से एक सदस्य वित्तीय सेवाओ या लेखापरीक्षा सेवाओ या अधिप्राप्ति क्रय प्रक्रिया में विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी होगा सम्बन्धी प्रक्रियाओं और वित्तीय नियमो पर परामर्श देगा।

कार्यालय उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून के डेड स्टॉक पंजिका की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि कार्यालय द्वारा दिनांक 16.10.2019 को फर्मो से फर्नीचर के क्रय हेतु कोटेशन मांगे गए थे, तथा उसके बाद फर्मो से कोटेशन प्राप्त किये गए थे। उक्त कोटेशन फर्मो द्वारा निम्न तिथि में जारी किये गए थे, विवरण निन्म्वत है

क्र.सं.	**फ़र्म का नाम**	**फर्म द्वारा कोटेशन जारी करने की तिथि**
1.	मैसर्स, भारत फर्नीचर्स, 82 चकराता रोड़ देहरादून,	20.09.2020
2.	**मैसर्स, सुप्रीम फर्नीचर्स, नारी शिल्प मार्ग, चकराता रोड़, देहरादून**	14.09.2020
3.	**मैसर्स, स्पीड़ फर्नीचर, 103 लक्ष्मी चैम्बर, 69 राजपुर रोड़, देहरादून**	16.09.2020

उपर्युक्त कोटेशन को क्रय समिति के सदस्यों द्वारा दिनाकं 27-01-2020 को खोला गया। **मैसर्स, भारत फर्नीचर्स,** 82 चकराता रोड, देहरादून की दरें अन्य फ़र्म की दरो से न्यूनतम होने के कारण समिति द्वारा फ़र्म का कोटेशन स्वीकार किया गया तथा उपर्युक्त फ़र्म से फर्नीचर का क्रय कर रु 0.93 लाख का भुगतान दिनांक 20.03.2020 को किया गया था।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त कोटेशन 27.01.2020 को खोले गए थे जबकि उक्त कोटेशन 1. **मैसर्स, भारत फर्नीचर्स,** 82 चकराता रोड़, देहरादून 2. **मैसर्स, सुप्रीम फर्नीचर्स**, नारी शिल्प मार्ग, चकराता रोड़, देहरादून 3**. मैसर्स, स्पीड़ फर्नीचर्स,** 103 लक्ष्मी चैम्बर, 69 राजपुर रोड़, देहरादून द्वारा क्रमशः दिनांक 20.09.2020, 17.09.2020 एवं 16.09.2020 को फर्मों द्वारा जारी किये गए थे। **जिससे यह स्पष्ट होता है कि कोटेशन मांगे जाने की तिथि 16.10.2020 से मैसर्स, भारत फर्नीचर्स, 82 चकराता रोड़ को ₹ 0.93 लाख का भुगतान दिनांक 20.03.2020 कर किये जाने तक कोई कोटेशन कार्यालय में प्राप्त नही हुआ था।** कार्यालय द्वारा उक्त फर्नीचर के क्रय में गंभीर अनियमिता बरती गयी, फर्नीचर को बिना कोटेशन प्राप्त किये ही क्रय किया गया तथा 2 फर्मों से सामग्री के बिल के भुगतान की तिथि (20.03.2020) के बाद कोटेशन प्राप्त किए गए था तथा एक फर्म से कार्यालय द्वारा कोटेशन जारी करने के अनुरोध पत्र (दिनांक 16.10.2020) से पहले ही कोटेशन प्राप्त किया गया था।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर **सचिव, उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग देहरादून** ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि मा0 उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रयोगार्थ उक्त सामंग्री क्रय की गयी एवं अनुमोदन बाद में प्राप्त किया। भविष्य में कोटेशन approve होने के बाद ही सामंग्री का क्रय किया जाएगा।

विभाग स्वतः ही पुष्टि करता है कि कोटेशन approve किये बिना ही **₹ 0.93** लाख के फर्नीचर का क्रय किया गया।

अतः बिना कोटेशन प्राप्त किये **₹ 0.93** लाख के फर्नीचर का अनियमित क्रय किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:02-</u> अनुसूचित जनजाति के छात्रों को तीन वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाना।

समाज कल्याण विभाग के द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिससे कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त करे तथा उनका सामाजिक उत्थान हो सके।

कार्यालय सचिव, उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग, देहरादून के पाँच छात्रों की छात्रवृत्ति अभिलेखों की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि उनको दिये गए प्रारूप में छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गयी है -

क्र॰ सं॰	जनपद का नाम	छात्र का नाम	वर्ष	शिक्षा
1	देहरादून	श्री सचिन कुमार	2013-17	बी॰ टेक
2	देहरादून	श्री मुकेश सिंह बुधियाल	2016-17	डिग्री
3	नैनीताल	श्री खमेन्द्र सिंह पांगती	2016-17	बी॰ टेक
4	देहरादून	कु॰ जानकी बुधियाल	2017	बी॰ एड
5	देहरादून	कु॰ सुमित्रा कुटियाल	2017	बी॰ एड

उक्त छात्रों की जांच में देखा गया कि उक्त सभी प्रकरणों में धनराशि वर्ष 2017 में प्राप्त हो जानी थी वह लेखा परीक्षा अवधि तक भुगतान नहीं की गयी थी।

उक्त से स्पष्ट था कि आयोग के द्वारा उक्त छात्रों/ छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलाने में कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। जिससे उक्त छात्र/ छात्राओं की शिकायतों के निवारण न करते हुये संबन्धित लाभ से वंचित रखा गया जिससे उनको आर्थिक क्षति भी हो रही थी।

प्रकरण के सम्बंध में इंगित किए जाने पर आयोग ने अवगत कराया कि छात्रों/ छात्राओं को अभी भुगतान नहीं किया गया है जो समाज कल्याण विभाग स्तर पर लम्बित है। संबन्धित प्रकरणों का संज्ञान नहीं लिए जाने के सम्बंध में अवगत कराया कि आयोग में स्टॉफ की कमी होने से पत्राचार नहीं किया जा सका।

आयोग द्वारा स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है कि अनुसूचित जनजाति के पाँच छात्रों को तीन वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जा सका। आयोग के द्वारा तीन वर्षों से संबन्धित प्रकरणों का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया एवं उक्त छात्रों / छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलाने में कोई रूचि नहीं ली गयी।

अतः अनुसूचित जनजाति के छात्रों को तीन वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**	**अनुपूरक नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी**
50/2017-18	शून्य	1,2,3	--

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
50/2017-18	1,2 एवं 3	लम्बित अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या पूर्व में प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की जा चुकी है।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------शून्य--------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु सचिव, उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   (i) शून्य
3. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
1	श्री योगेन्द्र रावत	सचिव	26.04.2016 से 27.06.2019
2	श्री विपिन चन्द्र रतूड़ी	सचिव	28.06.2019 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति सचिव, उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (ए॰ एम॰ जी॰ -I) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) महालेखाकार भवन कौलागढ़, देहरादून 248195 को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी-I